श्रीमती विमला बनाम पृथ्वीराज व अन्य

अपील एलआर 71/2016 जिला नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2016/00113 अभि. अपी– राघवेन्द्र सिंह/ श्री अजीत सिंह भादू प्रत्य. अभि. सं0 9 व 10 श्री रामस्वरूप चौधरी प्रत्य. अभि. सं0 1 से 6 श्री शंकरलाल चौधरी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.12.2021	पत्रावली प्रार्थना पत्र दिनांकित 29.11.2021 अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. बाबत अपील विड्रो किये जाने के निणयार्थ पेश हुई। अपीलार्थीया अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 29.11.2021 अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. बाबत अपील विड्रो किये जाने की बहस में दौराने बहस कमोबेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थीया व प्रत्यर्थीगण के मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा हो चुका है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीड़वाना द्वारा अपील सं0 03/2016 उनवान विमला बनाम पृथ्वीराज वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2016 से पूर्णतया संतुष्ट हूँ। उक्त निर्णय की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर रखी है उसको आगे चलाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये न्यायहित में प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतिरिक्त जिला कलक्टर डीड़वाना के पारित निर्णय दिनांक 28.03.2016 के विरूद्ध अपीलार्थीया व उसके वारिस कभी भी किसी न्यायालय में अपील/रिट प्रस्तुत कर चुनौती नहीं देगे ओर जीवन पर्यन्त उक्त निर्णय में अंकित आराजी के संबंध में किसी भी न्यायालय में जाकर चाराजोही नहीं करगे तथा अपने कथनों से अपीलार्थीया व उसके वारिसान जीवन पर्यन्त पाबन्द रहेगे। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय न्यायलय के समक्ष विचाराधीन अपील सं0 71/2016 श्रीमती विमला बनाम पृथ्वरीराज व अन्य को जरिये विड्रो खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। प्रत्यर्थीगण अभिभाषक की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांकित 29.11.2021 अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. बाबत अपील विड्रो के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। बहस प्रार्थना पत्र पर मनन व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। चूकि अपीलार्थीया जब स्वयं ही विचाराधीन अपील को आगे नहीं चलाना चाहती है तो फिर न्यायहित में विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई संशय व आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। साथ ही उपस्थित प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता को भी इस पर कोई एतराज नहीं है। अतः प्रार्थी/अपीलार्थीया अभिभाषक का अपील विड्रो किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलार्थीया द्वारा विड्रो किये जाने के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned with CamScanner